रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-99/2022/1276/22-2-2022-17(346)/2022

लखनऊ: दिनांक: 13 जुलाई, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती कान्ती देवी (बन्दी संख्या-8997/2013) पत्नी श्री रामरक्षपाल, जो-कुटरा, थाना-कोतवाली-फतेहगढ़, जनपद-फर्रूखाबाद की निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-121/2006 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 201 तथा 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 21.02.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, बंदी द्वारा दिनांक 25.12.2021 तक 09 वर्ष, 07 माह, 24 दिन अपरिहार सजा 12 वर्ष, 00 माह, 00 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं संतोषजनक जेल आचरण एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-99/2022/1276(1)/22-2-2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
3- पुलिस अधीक्षक फर्रूखाबाद।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in